न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./53/2020/बाड़मेर

अपीलांट

1. जुगताराम पुत्र सुखराम
2. भूराराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी दर्जियों की ढाणी प.ह. माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर(राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मेहराराम पुत्र लालाराम
2.इमियोदेवी पत्नी पुरखाराम(फौत)
3.लक्ष्मणराम पुत्र पुरखाराम
4.मनोज पुत्र हीराराम
5.पेमाराम पुत्र हीराराम
6.किसनाराम पुत्र हीराराम
7.पपू देवी पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी दर्जियो की ढाणी प.ह. माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 230/2016 बअनवान जुगताराम वगै. बनाम मेहराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 02.07.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांटगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 96/21 रकबा 32.14 बीघा ग्राम दर्जियो की ढाणी, पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु में अवस्थित है। अपीलांटगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के खेत में से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन को दिनांक 17.07.2017 को निर्णित करते हुए अपीलांटगण को रास्ता दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 14.11.2018 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी संख्या 8314/2018 पेश की गई जो दिनांक 14.11.2019 को खारिज कर दी गई। उपरोक्त अपीलीय न्यायालयों के आदेश की पालना में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई और अपीलांटगण द्वारा नये सिरे से मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु आवेदन दिया गया जिसे स्वीकार कर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 18.09.2020 को दोनों पक्षों के रूबरू तैयार की गई जिस पर उतरदातागण के अधिवक्ता द्वारा एतराज किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

रिपोर्ट दिनांक 27.10.2020 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुने बिना व उस पर आपतियों प्राप्त किये बिना दिनांक 06.11.2020 को अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदातागण न तो अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 14 में से प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु सहमत है और न ही उतरदातागण अपने दूसरे खातेदारी के खेत खसरा संख्या 13 मे से प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु सहमत है और न ही खेत खसरा संख्या 94/21 जिसमें से अपीलांटगण को अस्थाई रूप से आने जाना बताया गया है। उतरदातागण लघुतम या निकटतम प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु तैयार नहीं है तो खसरा संख्या 94/21 के खातेदार जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है, लम्बा रास्ता देने के लिए कैसे तैयार होगें, ऐसे स्थिति में अपीलांटगण अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 96/21 से उसमें बनी ढाणी व मकानात से डामर सड़क के खसरा संख्या 93/15 मे से कैसे आ जा सकते है। उक्त समस्या का समाधान करने हेतु अपीलांटगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता होने पर मांग की गई है जो उचित व न्यायसंगत है उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने कयासो एवं कल्पनाओ के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसमें जिसे वैकल्पिक रास्ता बताया गया है। जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं वास्तविकता से परे जाकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRD 2019 HC Page 119

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2006-07(Supp.) Page 382
RRD 1996 Page 343

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 21 सामलाती खेत था लेकिन बंटवाड़ा होने से अलग टुकड़े हो गये हैं खसरा संख्या 21 का जब बंटवाड़ा हुआ तब खातेदारों के लिये रास्ते का प्रावधान रखना चाहिए था। वर्तमान में खसरा संख्या 96/21 के खातेदार खसरा संख्या 94/21 से होकर डामर सड़क तक आ जा रहे है। लेकिन ये रास्ता उनके लिये लम्बा पड़ता हैं अतः खसरा संख्या 14 में से होकर रास्ता चाहते हैं जो लघुतम पड़ता है लेकिन खसरा संख्या 14 के सेढे पर मेहराराम पुत्र लालाराम की रहवासी ढाणी आई हुई है। धारा 251 क में वर्णित नये रास्ता खुलवाने की सभी शर्तों का विपरीत तथ्य दशार्ये गये हैं:–

क. मार्ग के लिए अत्यधिक आवश्यकता का अभाव– मार्ग उपलब्ध है।

ख. वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता– प्रार्थीगण के स्वयं के खेत में पीढियों का रास्ता, जिसे प्रार्थीगण के पूर्वज भी चलते थे व अब प्रार्थीगण भी उसी रास्ते से चलते हैं। बिना अवरोध का पुश्तैनी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। वर्तमान में इस वैकल्पिक रास्ते से आवागमन होता है वर्तमान में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई दुविधा नहीं है। धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास एलटरनेटिव मीन्स ऑफ एक्सीस मौजूद तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2017(1) Page 423
RRT 2016(1) Page 649
TA 2948/2019 THANARAM VRS MOTIRAM

ग. रास्ता खुला व बाधा रहित होना चाहिए– जो नया रास्ता चाहा गया हैं व खुला हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो। इस नये प्रस्तावित रास्ते में विप्रार्थीगण की पुश्तैनी ढाणी आई हुई है। सभी मौका फर्दो में रास्ते के मध्य रेस्पोडेंट मेहराराम की आवासीय ढाणी आया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्दों का अवलोकन किया गया। मौका फर्द दिनांक 03.02.2017 में अंकित किया गया कि प्रार्थी भूराराम वगै. खसरा संख्या 96/21 रकबा 32.14 बीघा में **आवागमन हेतु एक कच्चा मार्ग है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। कटान मार्ग से उस मार्ग की दूरी चाहे गये मार्ग से अधिक है यह वैकल्पिक मार्ग पगडण्डी के रूप में सामान्यत खुला रहता है। उक्त वैकल्पिक मार्ग वर्षाकाल में बंद कर दिया जाता है।** चाहा गया मार्ग अथवा प्रस्तावित मार्ग खसरा संख्या 14 मे से गुजरेगा। चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना पाया गया, पूर्णतया खाली है।

मौका फर्द दिनांक 03.05.2017 में अंकित किया गया कि खसरा संख्या 21 का जब बंटवाड़ा हुआ तब खातेदारों के लिए रास्ते का प्रावधान रखना चाहिए था लेकिन रास्तों की व्यवस्था नहीं करने से अब खसरा संख्या 94/21 में से होकर डामर सड़क तक आ जा रहे है। लेकिन यह रास्ता उनके लिए लंबा पड़ता है। अतः खसरा संख्या 14 में से होकर रास्ता चाहते है जो लघुतम पड़ता है। खसरा संख्या 13 व 14 के सेढे पर मेहराराम की रहवासी ढाणी आई हुई है।

मौका फर्द दिनांक 18.09.2020 में अंकित किया गया कि ग्राम दर्जियों की ढाणी के खसरा संख्या 96/21 से डामर सड़क जो बायतु से चिड़िया जाती है सड़क तक आने जाने के लिए खसरा संख्या 13 व 14 के भूमि के सेढा–सेढ प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है, जो लघुतम व निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त खसरा संख्या 96/21 को डामर सड़क से जोड़ने हेतु नजदीक वैकल्पिक रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ से खसरा संख्या 96/21 का खसरा संख्या 94/21 व 14 के सेढा–सेढ जोड़ने पर प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते से दुगनी दूरी तय करनी पड़ती है। तथा आर्थिक भार भी अधिक पड़ेगा। प्रस्तावित रास्ते के पास विप्रार्थी मेहराराम की रहवासी ढाणी बनी हुई है इस ढाणी तक से डामर सड़क तक मेहराराम द्वारा रास्ता खुला रखा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते से विप्रार्थीगण मेहराराम का अपनी ढाणी से सड़क तक जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त मौका फर्दों व राजस्व नक्शों की नकल के अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रथम दृष्टया मूल खसरा संख्या 21 कटाण सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। खसरा संख्या 14 में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य को निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं है। उपरोक्त मौका फर्दों में वैकल्पिक रास्ते का प्रस्ताव बताया गया है वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कटान मार्ग से उस मार्ग की दूरी चाहे गये मार्ग से अधिक है यह वैकल्पिक मार्ग पगडण्डी के रूप में सामान्यत खुला रहता है। उक्त वैकल्पिक मार्ग वर्षाकाल में बंद कर दिया जाता है।

अपीलांटगण/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया जाना नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन नहीं दिया है। रेस्पोडेंटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर अपीलांटगण/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विप्रार्थी वकील के कथनों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड एवं तथ्यों पर गौर पर नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 230/2016 बअनवान जुगताराम वगै. बनाम मेहराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वैकल्पिक रास्ते (कटाणी मार्ग) को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को अपनी जोत तक आने जाने हेतु निकटतम एवं लघुतम कटाण सरकारी मार्ग देने की कार्यवाही कर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 06.08.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर